



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2011/आषाढ़ 22, 1933

No. 1347]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2011/ASADHA 22, 1933

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2011

का.आ. 1616(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ निन्यानवेवां संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) "9क. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9कक. पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय"; और

(ख) "30. ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iii) पेय जल और स्वच्छता विभाग" उप-शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत-स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता; इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल पूर्ति, मल-व्ययन, जल निकास और स्वच्छता से है ।
3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।
4. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय ।"; और

(ख) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. पेय जल और स्वच्छता विभाग" उप-शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2011-मंत्रि.]
के. एल. शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2011

S.O. 1816(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninety Ninth Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) In THE FIRST SCHEDULE, -

(A) after the heading "9A. Ministry of Development of North Eastern Region (Uttar Poorvi Kshetra Vikas Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"9AA. Ministry of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Mantralaya)"; and

(B) under the heading "30. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)", the sub-heading "(iii) Department of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Vibhag)" shall be omitted.

(2) In THE SECOND SCHEDULE,-

(A) after the heading "MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (UTTAR POORVI KSHETRA VIKAS MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA MANTRALAYA)

1. Rural Water Supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.
2. Public cooperation, including matters relating to voluntary agencies in so far as they relate to rural water supply, sewage, drainage and sanitation in rural areas.
3. Co-operatives relatable to the items in this list.
4. Coordination with respect to matters relating to drinking water supply projects and issues which cover both urban and rural areas."; and

- (B) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", the sub-heading "C. DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA VIBHAG)" and the entries relating thereto shall be omitted.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
President

(F. No. 1/22/1/2011-Cab.)
K. L. SHARMA, Director